न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 367/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. ठाकर सिंह पुत्र श्री खेता सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरदेव सिंह पुत्र श्री खेता सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. मुखत्यार कौर पत्नी स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. परमजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. महेन्द्रपाल कौर पुत्री स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. छिन्द्रपाल कौर पुत्री स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सुखजीत कौर पत्नी स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. गुरप्यार सिंह पुत्र स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. अमनदीप कौर पुत्री स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. अर्शदीप कौर पुत्री स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 12.7.2024

वादी ठाकर सिंह ने प्रतिवादीगण मुखत्यार कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं वादीगण के मृतक भाई स्व. श्री जगदेव सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 67/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 1.0055 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादीगण के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारो आदि [illegible] पंचायत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दि[illegible] बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि [illegible] का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर [illegible] इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 8 अब उक्त भूमि में कोई हित [illegible] नही रहा हैं। वादीगण को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन [illegible] निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :–

(क) वादीगण ठाकर सिंह एवं गुरदेव सिंह पुत्रगण श्री खेता सिंह समस्त जाति रामदासिया निवासीगण संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :–

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:29:33
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

तहसील संगरिया के चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 67/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.0055 है. कृषि भूमि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 8 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 8 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 8 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 9 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 67/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं वादीगण के मृतक भाई स्व. श्री जगदेव सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 67/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.0055 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण एवं वादीगण के मृतक भाई स्व. श्री जगदेव सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 67/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.0055 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक जगदेव सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तकमील [illegible] कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:29:
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(51)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 367/2024

बकर सिंह पुत्र श्री खेता सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

गुरदेव सिंह पुत्र श्री खेता सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

मुखत्यार कौर पत्नी स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

परमजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

महेन्द्रपाल कौर पुत्री स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

छिन्द्रपाल कौर पुत्री स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुखजीत कौर पत्नी स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

गुरप्यार सिंह पुत्र स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

अमनदीप कौर पुत्री स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

अर्शदीप कौर पुत्री स्व. श्री चरणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जगदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :– 12.07.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं वादीगण के मृतक भाई स्व. श्री जगदेव सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. ए के खाता सं. 67/2 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 1.0055 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक जगदेव सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X...... [illegible] ......X...... [illegible]
निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह [illegible] सालाना आज [illegible] तारीख
वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:29:33 IST
Reason: SelfAttested

बसबत मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 12.7.2024... को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया